



Neutral Citation No.- 2026:AHC:18287

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-38673 वर्ष 2025**

**राजू और एक अन्य ..... आवेदक**

**बनाम**

**उत्तर प्रदेश राज्य ..... प्रतिपक्षी**

**आवेदक के अधिवक्ता: मूल चंद्र मौर्य**

**प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता**

**न्यायालय सं - 66**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल**

1. सूची का पुनः पुकार किया गया।
2. आवेदकों के अधिवक्ता श्री मूल चंद्र मौर्य, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. आवेदकों ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302 भ०द०वि०, थाना-गंजनडवाड़ा, ज़िला: कासगंज के तहत 2021 के अपराध संख्या-278 में ज़मानत मांगी है।
4. आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह सह-आरोपी व्यक्ति कु को भी रखा गया था। इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा 2022 के आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-22027 में पारित दिनांक 6.7.2022 के आदेश द्वारा लबी को पहले ही ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 12.10.2025 से जेल में बंद हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि चूंकि आवेदकों की भूमिका सह-अभियुक्त के समान है, जिन्हें पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वे भी समानता के आधार पर ज़मानत पर बंधने के हकदार हैं। यदि आवेदकों को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. ज़मानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विश्नोई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/SCOR/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एस.सी.सी. 51 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आलोक में, न्यायालय का विचार है कि आवेदकों ने ज़मानत के लिए मामला बनाया है। ज़मानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

7. आवेदकों- राजू और भानु, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल हैं, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, ज़मानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेंगे/डराएंगे।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

**27 जनवरी, 2026**

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)